कार्यालय–मुख्य चिकित्सा अधिकारी,जौनपुर।

पत्रांकः– पी–2/आयु0भारत/संविदा नियुक्ति पत्र/2018–19/ **दिनांक–31 जनवरी 2019**

कार्यालय ज्ञाप

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु प्रमुख सचिव, शासन (चिकित्सा अनुभाग–6) उ0प्र0 लखनऊ के शासनादेश संख्या–2212/पाँच–6–2018 दिनांक–27 जुलाई 2018 के क्रम में डिस्ट्रिक प्रोग्राम कोआर्डिटनेटर के संविदा पद पर, संविदा के आधार पर जिलाधिकारी/अध्यक्ष आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आयोग्य योजना जौनपुर के द्वारा अनुमोदित गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार दिनांक–21.01.2019 के पश्चात चयनित अभ्यर्थी को जिलाधिकारी/अध्यक्ष आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जौनपुर के द्वारा चयन अनुमोदनोपरान्त संविदा के आधार पर/अनुबन्ध के अधीन निम्न मासिक परिलब्धि/नियत मानदेय पर नियुक्ति वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु अस्थायी रूप से दिनांक–31.03.2019 तक अधोलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन की जाती है मानदेय भुगतान के पूर्व प्रतिमाह कार्यो का मूल्यांकन सम्बन्धित नोडल अधिकारी के द्वारा किया जायेगा, कार्य कुशलता,उपलब्धि,गुणवक्ता तथा कौशल पर विशेष ध्यान दिया जायेगा, ज्ञात हो कि यह किसी प्रकार का स्थाई नियुक्ति पत्र नही है।

क्र0 सं0	अनुक्रमांक/ फार्म नं0	चयन तालिकावार अभ्यर्थी का ज्येष्ठता क्रमांक	संविदा चयनित पद का नाम	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता/गृह जनपद	नियमित मानदेय	आरक्षण अनुसार चयन जाति श्रेणी
1	16	16	डिस्ट्रिक प्रोग्राम कोआर्डिटनेटर	डा0 बद्री विशाल पाण्डेय	श्री विद्याकान्त पाण्डेय	951 स्टेशन रोड फाफामऊ जनपद इलाहाबाद	50000	अनारक्षित

शर्ते/प्रतिबन्धः–

1. संविदा के आधार पर यह नियुक्ति भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी अधिष्ठान अन्तर्गत सृजित पद के विरूद्ध नही है तथा किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता है।
2. संविदा पर आधारित यह नियुक्ति उच्च स्तर से प्राप्त वित्तीय वर्ष 2019–20 में पुनः अनुबंध आदेश/जनपदीय कार्ययोजना में दिये गये निर्देशानुसार विभागीय द्विपक्षीय अनुबंध की तिथि से अनुबंध होगी, सम्बन्धित पदों पर अभ्यर्थी को नियुक्ति पश्चात नियमित वेतन मान्य में विनियमितीकरण या स्थायीकरण का कोई विधिक अधिकार नही होगा, यह नियुक्ति पूर्ण रूपेण संविदा पर अस्थायी रूप की जा रही है।
3. सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस कार्यालय में निर्धारित विभागीय अनुबंध पत्र हस्ताक्षरित करने के उपरान्त तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेगें, सम्बन्धित पद पर चयन हेतु अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक योग्यता/विशेष योग्यता/प्रशिक्षण व अनुभव प्रमाण–पत्र यदि सत्यापन के पश्चात त्रुटिपूर्ण अथवा असत्य पाया जाता है तो यह नियुक्ति व अनुबंध स्वतः निरस्त माना जायेगा एवं अभ्यर्थी के विरूद्ध नियमानुसार विधिक/अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
4. सम्बन्धित लाभार्थी के कार्य पर योगदान के प्रत्येक माह पर नियन्त्रक अधिकारी द्वारा दक्षता मूल्यांकन किया जायेगा अपेक्षित स्तर पर कार्य न कर पाने की दशा में संविदा समाप्त की जा सकती है।
5. अभ्यर्थी इस नियुक्ति के आधार पर संविदा कालावधि के लिए किसी पेंशन सम्बन्धित सुविधा का हकदार नही होगा और न ही बोनस आदि देय होगें।
6. संविदा पर चयनित उक्त अभ्यर्थी के चरित्र का सत्यापन कराया जायेगा एवं इस क्रम में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में अनुबंध प्राधिकारी द्वारा संविदा/अनुबंध बिना कारण बतायें तुरन्त रद्द कर दिया जायेगा।
7. चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति प्राधिकारी को रू0 100 मूल्य का नान जूडिसियल स्टाम्प पेपर स्वंय के व्यय पर संविदा निस्पादन हेतु प्रस्तुत करेगा।
8. इस नियुक्ति के आधार पर योगदान के समय चयनित/नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

   (1) दो राज्य पत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र जो चयनित अभ्यर्थी के सगे संबंधी न हो।

   (2) किसी माननीय न्यायालय में अभ्यर्थी के विरूद्ध परिवार दाखिल होने अथवा अभियोजन न चलाये जाने तथा किसी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने सम्बन्धी नोटरी शपथ पत्र।

   (3) ओथ एलिजयोन्स का प्रमाण–पत्र।

   (4) गोपनीयता का प्रमाण–पत्र।

(5) इस आशय का लिखित नोटरी अन्डरटेकिग की यदि चरित्र एवं प्रावृति सत्यापन के पश्चात उपर्युक्त नही पाया जाता है तो सम्बन्धित नियुक्ति निरस्त कर दिये जाने पर अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नही होगी।

(6) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका जिला चिकित्सालय,द्वारा जारी स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र।

(7) पहचान पत्र की प्रमाणित प्रति।

(8) दो पासपोर्ट साईज की फोटो।

(9) समस्त शैक्षिक योग्यता/विशेषज्ञ योग्यता/अनुभव प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा प्रमाण-पत्र की स्वप्रतिहस्ताक्षरी छायाप्रतियाँ।

चयनित एवं नियुक्ति अभ्यर्थी को अपने स्वंय के व्यय पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी,जौनपुर के कार्यालय में नियुक्ति पत्र प्राप्ति के पश्चात योगदान प्रस्तुत करना होगा,यह नियुक्ति आदेश निर्गत की तिथि से 07 दिन तक वैध माना जायेगा निर्धारित अवधि के बाद यह आदेश पत्र स्वतः समाप्त समझा जायेगा,तत्पश्चात सम्वर्ग सूची के जेष्ठता अनुसार नवीन अभ्यर्थी का नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया जायेगा, चयनित अभ्यर्थी द्विपक्षीय विभागीय अनुबंध हस्ताक्षरित करने के उपरान्त ही तैनाती कार्यालय/चिकित्सालय पर निर्देशानुसार कार्य सम्पादित करेगें। इस हेतु उन्हें किसी प्रकार का मार्ग व्यय/यात्रा भत्ता देय नही होगा। तैनाती स्थान पर नियमित रूप से ससमय उपस्थित होकर भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देशों एवं निर्धारित टर्म्स एवं रिफरेन्स के अनुरूप एवं कार्यक्रम के हित में उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार कार्य का सम्पादन सुनिश्चित करना होगा। किसी दिन कार्य से अनुपस्थित रहने पर उक्त दिवस के धनराशि की कटौती उनके निर्धारित मासिक मानदेय से कर ली जायेगी।

(डा0 रामजी पाण्डेय)
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जौनपुर।

पत्रांकः- पी-2/आयु0भारत/संविदा नियुक्ति पत्र/2018-19/ 1711-17 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, शासन (चिकित्सा अनुभाग-6) उ0प्र0 लखनऊ। ।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी (साचीज) नवचेतना केन्द्र चतुर्थ, 10 अशोक मार्ग हजरतगंज,उ0प्र0,लखनऊ।
3. अपर निदेशक,चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,वाराणसी मण्डल वाराणसी।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जौनपुर ।
5. संबंधित चयनित/नियुक्ति संविदा डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोआर्डिनेटर अभ्यर्थियो को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित करते हुए क्रम संख्या-8 मे वांछित अभिलेख एवं समस्त मूल्य प्रमाण-पत्र सहित कार्यालय अधोहस्ताक्षरी में समय सीमा के अन्दर योगदान प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
6. एन0आई0सी0 जौनपुर के पोर्टल पर अपलोड हेतु।
7. अभिलेखार्थ।

(डा0 रामजी पाण्डेय)
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जौनपुर।